ग्राम पंचायत लाना भलटा विकास खंड पच्छाद ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014से 31.03.2017

भाग-1

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लाना भलटा के विकास खंड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री जगजीत सिंह	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमति रुपिंदर कौर	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री विरेन्द्र सिंह	1.04.2014 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत लाना भलटा के लेखाओं अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	0.05
2	7	गृहकर की शेष वसूली	0.26
3	8	गृहकर की कम जमा करवाई गई राशि की वसूली	0.04
4	9	मोबाइल टावर फीस की शेष वसूली	0.29
5	10	खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.47
6	11	ब्याज की राशि का खण्ड विकास अधिकारी पच्छाद को वापसी की पुष्टि न होना	1.10
7	12	अनुदान राशि का उपयोग न करना	63.14
6	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय करना	7.33
7	14	क्रय की गई स्टोर/स्टॉक सामग्री की प्रविष्टि न करना	----

8	15	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	4.60
9	16	वास्तविक अदायगी से अधिक राशि का आहरण कर आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.02
9	17	सीमेंट को HPSCSC, Ltd से न खरीदकर राशि का अधिक भुगतान	0.06
10	19	मनरेगा योजना की रोकड़ बही को संधारित न करना	------

भाग –दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत लाना भलटा, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **21/07/17 से 27/07/2017** तक ग्राम पंचायत लाना भलटा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

आय	**व्यय**
11/2014	08/2014
10/2015	09/2015
09/2016	08/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत लाना भलटा, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-3 दिनांक 27/07/2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लाना भलटा से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत लाना भलटा के पत्रांक संख्या: जी.पी.लाना भलटा-68 दिनांक 01/08/2017 द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या:107538 दिनांक 01/08/2017 से अंकेक्षण शुल्क की राशी को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित किया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत लाना भलटा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्वःस्त्रोत:- ग्राम पंचायत लाना भलटा के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 के दौरान स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

परिशिष्ट–3 पर

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	--------	15103.00	15103.00	49323.00	(-)34220.00
2015-16	(-)34220.00	74197.24	39977.24	73481.18	(-)33503.94
2016-17	(-)33503.94	231603.80	198099.86	71668.00	126431.86

नोट :- ग्राम पंचायत लाना भलटा द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्व: स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है | निधि का प्रारम्भिक शेष ज्ञात न होने के कारण पंचायत द्वारा निधि में जमा राशी से कितना अधिक व्यय किया गया है यह स्पष्ट रूप में ज्ञात नहीं किया जा सका, क्योंकि उपरोक्त वित्तीय स्थिति के अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में प्राप्त कुल आय से ₹**34,220** का अधिक व्यय किया गया है जिस कारण स्वः स्त्रोत की वितीय स्थिति वर्ष 2014-15 में ₹**34,220** तथा 2015-16 में ₹**33503.94** का **Negative balance** दर्शा रही है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, तथा भविष्य में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय को पृथक से खाता खोलकर उसमे जमा किया जाना व उसी खाते से सम्बन्धित व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत लाना भलटा की अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के दौरान अनुदानों से प्राप्त आय की वितीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-2** मे भी दिया गया है ।

परिशिष्ट–2 (A) पर

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	1390636.24	1796965.00	3187601.24	1783079.80	1404521.44
2015-16	1404521.44	4718513.00	6123034.44	2434467.00	3688567.44
2016-17	3688567.44	5196337.00	8884904.44	2570771.00	6314133.44

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार ₹**4998.74** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹.)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	126431.86	**3**
2.	अनुदान	6314133.44	**2**
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	6440565.30	**1**

4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	6435566.56	**4**
5.	**कुल अन्तर**	**4998.74**	

विभिन्न बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा **(परिशिष्ट- 4)**

क्रमांक	अनुदान का नाम	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSCB, Kheri	57510100603	3357888.86
2.	14th FC	-----do------	57510101053	2363215.00
3.	Dev.Works	HPSCB, Kheri	57510100606	294372.00
4.	PMAGY	SBI, Baru Sahib	33659223242	310234.70
6.	NBA	HPSCB, Kheri	57510101052	109856.00
		बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा कुल राशि		**6435566.56**

6 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता:-

ग्राम पंचायत लाना भलटा को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है की ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण यह है की एक ओर तो ग्राम पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित नहीं की गई है क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण अवधि के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत लाना-भलटा द्वारा उनके पत्र क्रमांक: जी.पी.लाना-भलटा-शून्य दिनांक 23/07/2017 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी है।

क्रम संख्या	विवरण	दरें (शुल्क/कर)
1	विवाह पंजिकरण शुल्क (बी.पी.एल.)	25
2	विवाह पंजिकरण शुल्क (अन्य)	200
3	प्रमाण पत्र फीस	10
4.	सम्पत्ति कर	50/- प्रति वर्ष
5.	मोबाइल टावर फीस	2500/- प्रति वर्ष

अतः उक्त दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 गृहकर के रूप में ₹0.26 लाख की शेष वसूली:-

ग्राम पंचायत लाना भलटा के सचिव द्वारा आडिट मेमो संख्या: जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/लानाभलटा/2017-18-1 दिनांक 21/07/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक: जी.पी.लाना भलटा-शून्य दिनांक 23/07/2017 द्वारा गृहकर के बारे में जो सुचना

प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर के रूप में ग्राम पंचायत लाना भलटा को ₹**16800** की वसूली शेष बताई गई। परन्तु सचिव ग्राम पंचायत लाना भलटा के उपरोक्त पत्र के अनुसार अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के दौरान पंचायत में पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या: के अनुसार ₹50. प्रति परिवार हिसाब से उक्त अवधि में गृहकर की निम्नलिखित राशि वसूली योग्य शेष बनती है।

वर्ष	**कुल परिवार**	**वार्षिक दर**	**चालू वर्ष का कुल कर**	**कुल वसूली योग्य राशि**	**प्राप्त राशि**	**शेष राशि**
2014-15	333	50/-	16650/-	16650	--------	16650/-
2015-16	333	50/-	16650/-	33300	23800/-	9500
2016-17	336	50/-	16800/-	26300	--------	26300

क्योंकि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लाना भलटा द्वारा ग्रहकर की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृह कर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर की ₹**26,300** वसूली योग्य शेष बनती है जिसकी वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके तथा सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में **मांग एंवम वसूली पंजी** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

8 ₹0.04 लाख गृहकर की कम जमा करवाई गई राशि की वसूली बारे:-

ग्राम पंचायत लाना भलटा की स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की निम्नलिखित रसीदों द्वारा वसूली गई गृहकर की ₹**3900** कम जमा करवाई गई थी जिसे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त सचिव ग्राम पंचायत लाना भलटा द्वारा (रसीद संख्या: 461/53) दिनांक 27/07/2017 को उक्त राशि की रसीद काटकर निधि के खाते में जमा करवा दिया गया है। प्राप्त आय को सम्बन्धित खाते में तुरन्त जमा न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 की अवहेलना है जिस बारे स्पष्टिकरण प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली आय की राशि को निधी की रोकड़ बही में तुरन्त दर्ज कर सम्बन्धित बचत खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उक्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को टाला जा सके ।

गृहकर की कम जमा करवाई गई राशि का विस्तृत ब्योरा

क्रमांक	**रसीद बुक नं.**	**रसीद नं.**	**दिनांक**	**वसूल की गई राशि**	**जमा की गई राशि**	**कम जमा की गई राशि(₹)**
1.	1638	13 से 33	19/05/15	2000/-	200/-	1800/-
2.	1638	49	18/11/15	200/-	-----	200/-
3.	1638	52 से 55	28/11/15	200/-	-----	200/-
4.	1638	69 से 71	18/04/16	150/-	-----	150/-

5.	461	24	16/12/16	100/-	-----	100/-
6.	2268	1 से 100	21/05/15	5550/-	5350/-	200/-
7.	2270	1 से 100	21/05/15	9500/-	8700/-	800/-
8.	2267	76 से 90	21/05/15	1250/-	950/-	300/-
9.	2267	61	07/03/15	150/-	-----	150/-
10.		**कम जमा करवाई गयी राशि का योग**				**3900/-**

9 मोबाइल टावर फीस की ₹0.29 लाख की बकाया राशि की वसूली बारे :-

सचिव, ग्राम पंचायत लाना भलटा द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/लानाभलटा/2017-18-1 दिनांक 21/07/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 23/07/2017 द्वारा जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को मोबाइल टावर (बी.एस.एन.एल.) से वर्ष 2006 से निम्नतालिकानुसार नवीनीकरण व् स्थापना शुल्क के रूप में **₹29,000** वसूली योग्य शेष बनती है क्योकि उक्त संस्था द्वारा टावर की स्थापना की तिथि से 31.03.2017 तक कोई भी राशी पंचायत में जमा नहीं करवाई गयी है। अतः उक्त राशी को (बी.एस.एन.एल.) कम्पनी से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दौरान अवगत करवाया जाए ।

मोबाइल टावर की स्थापना तथा नवीनीकरण शुल्क की वसूली योग्य राशि का ब्यौरा

Period	**BSNL**		**Remarks**
	Install. fees	Renewal Fees	Rate of Renewal fees per yr.
2006 to 2011	4000/-	10000/-	@ 2000/- yr. For Ist. 5 years
2012 to 2017	-------	15000/-	@ 2500/- per annum thereafter
Total	**4000/-**	**25000/-**	**29000/-**

क्योंकि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत लाना भलटा द्वारा उपरोक्त आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में उक्त शुल्क के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अतः उपरोक्त अनुसार मोबाइल टावर की स्थापना तथा नवीनीकरण शुल्क की **₹29,000** वसूली योग्य शेष बनती है जिसकी वसूली शीघ्र अतिशीघ्र की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके तथा सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाये तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एंवम वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

10 पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.47 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को पंचायत निधि स्व: संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। अनुदान विकास कार्य के बचत खाते पर अर्जित ब्याज ₹47078 को खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया है | अतः उपरोक्त ब्याज की राशी को खाता "क" में अन्तरित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा खाता "ख" में अर्जित ब्याज

की राशि को नियमानुसार खाता "क" में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के दौरान विकास कार्य के बचत बैंक खातों पर अर्जित ब्याज की राशि का ब्यौरा

GIA	Dev. Works
Month	Intt.(₹)
09/2014	3710
03/2015	4784
09/2015	4161
03/2016	14349
09/2016	13461
03/2017	6613
कुल	**47078**

11 **ब्याज की ₹1.10 लाख खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद को वापसी (Refund) की पुष्टि न होना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा निम्नतालिकानुसार विभिन्न अनुदानों के बचत खातों पर अर्जित ब्याज **₹1,10,162** का विकास खण्ड अधिकारी पच्छाद को दर्शाई गई है जिसकी अंकेक्षण के दौरान खण्ड विकास अधिकारी के खाते में जमा होने बारे पुष्टि नहीं हो सकी क्योकि उक्त राशि के विकास खण्ड अधिकारी, पच्छाद के खाते मे जमा होने से सम्बंधित कोई भी रसीदें/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः राशि के उक्त स्थानान्तरण से सम्बन्धित रसीदें/अभिलेख आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ताकि उक्त राशी का सही खाते में जमा होने की पुष्टि हो सके।

अनुदान	राशि वापसी की तिथि	राशि (₹)	विवरण
बी.आर.जी.एँफ़.	25/08/2015	64017	Ch.No.437604
आई.ए.वाई.	09/02/2015	11925	------.6445497
आई.ए.वाई.	18/06/2015	5330	A/cNo.5661010010108
आई.ए.वाई.	26/08/2015	1596	Ch.No.437629
पी.एम्.ए.जी.वाई.	26/02/2016	27294	-------.446409
ब्याज की कुल वापसी राशि		**110162**	

उपरोक्त के अतिरिक्त आई ए वार्ड तथा पी एम ए जी वार्ड पर अर्जित ब्याज की राशि पंचायत निधि में हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए थी

12 **अनुदान ₹63.14 लाख का उपयोग न करना:-**

पंचायत द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹63,14,133** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को

विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का सम्बन्धित संस्था को प्रत्यार्पण किया जाये।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.33 लाख के स्टोर/स्टॉक का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके। जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही **₹7,33,440 (परिशिष्ट- 5)** स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार औपचिरिकताएं पूर्ण किये बिना करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। जबकि, ग्राम पंचायत लाना भलटा के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों **(परिशिष्ट-5**) की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज किये बिना ही उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण के दौरान खरीदी गई सामग्री की खपत की जांच भी नहीं की जा सकी। अतः क्रय की गई सामग्री की मदों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ, खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

15 जे.सी.बी चार्जीस का ₹4.60 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹4,60,450 (परिशिष्ट-6)** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67(5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है। जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक

द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व् उचित था नहीं कहा जा सकता । अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांच्छित थी।

(क) आयकर 2%

(ख) सेल्स टैक्स 3%

(ग) प्रतिभूति राशि 10%

(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 वास्तविक अदायगी से ₹2138 का अधिक आहरण कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की सामान्य निधि खाते की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 97 व् 98 पर दिनांक 02.07.2016 को NRHM योजना के अन्तर्गत पंचायत के गाँव, लाना भलटा, रिवाडला तथा लाना मिऊँ के लिए ₹11862{(2248+717.50)x4} कूड़ादानों की खरीद की गई है। जबकि उक्त खरीद हेतु सामान्य निधि खाते से चेक संख्या: 429530 व् 429531 द्वारा 14000 (7000+7000) का आहरण किया गया है जोकि वास्तविक अदायगी की राशी से **₹2138 (**14000-11862) अधिक है। अतः वास्तविक भुगतान की राशी से अधिक आहरित की गई राशि की सम्बन्धित से वसूली की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

17 सीमेंट को HPSCSC, Ltd से न खरीदकर ₹6363 का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा सीमेंट की खरीद (निम्न तालिकानुसार) HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से की गई है जिसके कारण पंचायत निधि से **₹6363** का अधिक भुगतान हुआ है जबकि उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCSC, Ltd से सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था क्योकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त खरीद को HPSCSC, Ltd से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित से वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सीमेंट की उक्त खरीद का ब्यौरा निमनानुसार है।

		सामान्य निधि				
क्रम संख्या	विक्रेता का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सीमेंट की मात्र	प्रति बैग दर (₹)	HPSCC की दरें (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	ठाकुर ब्रदर्स,खेरी	117/ 18.07.14	20 बैग	363/-	245.40	2352/-
2	-----do-----	605/ 18.07.14	35 बैग	360/-	245.40	4011/-
					कुल अधिक अदायगी	**6363/-**

18 सावधि जमा में राशि का निवेश न करना:-

सामान्य निधि के बचत बैंक खाता संख्या 57510100603 के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त बचत बैंक खाते में अवधि 10/2015 से 03/2017 के दौरान निम्नतालिकानुसार औसतन 10 से 20 लाख तक की शेष राशि थी। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग अगले 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को पंचायत में इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश कर पंचायत के लिए ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन किया जा सकता है । इस प्रकार निधि को सुविनियोजित ढंग से प्रयोग/निवेश न करने के कारण निधि को ब्याज के रूप में निरंतर नुकसान हो रहा है। यदि बैंक में जमा राशि को पंचायत कि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि को **अल्प अवधि की सावधि जमा योजना (STDR)** में निवेश किया जाता तो उक्त निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सकता था।

सामान्य निधि खाता संख्या 57510100603

अवधि	बचत बैंक खाते में जमा पड़ी औसतन राशि (₹)
10/2015 से 11/2015	14,00,000/-
12/2014 से 07/2016	13,00,000/-
08/2016	12,00,000/-
09/2016 से 10/2016	22,00,000/-
11/2016	23,00,000/-
12/2016 से 01/2017	22,00,000/-
02/2017 से 03/2107	21,00,000/-

अत: पंचायत सचिव को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायें ताकि भविष्य में पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सके।

19 मनरेगा योजना की रोकड़ बही को संधारित न करना:-

ग्राम पंचायत लाना भलटा की मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत द्वारा मनरेगा योजना की रोकड़ बही का संधारण नही किया गया था। जिस बारे सचिव ग्राम पंचायत लाना भलटा द्वारा स्पष्ट किया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान व व्यय के भुगतान का "**खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन-लाइन"** हो जाने के कारण स्वीकृत/प्राप्त अनुदान व व्यय की गई राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जा रहा है| परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी अनुदान राशि

स्वीकृत हुई, कितनी राशि खर्च हुई तथा स्वीकृत अनुदान की कितनी राशि 31.03.2017 को खर्च होनी **(Unutilized)** शेष थी इसका सम्पूर्ण विवरण/ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि सभी भुगतान सम्बंधित बिल वाउचर पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध है इसलिए रोकड़ वाही का लिखा जाना अनिवार्य था जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत ₹**1422558** का ऑन-लाइन **(परिशिष्ट- 7)** भुगतान दर्शाया गया है। अतः अंकेक्षण अवधि में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल अनुदान व खर्च की गई राशि को बिल/ वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। उपलब्ध करवाई गई **Online Financial Statements** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान भुगतान की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है।

वर्ष	**मजदूरी पर खर्च**	**सामग्री खरीद पर खर्च**	**कुल खर्च**
2014-15	172634	106000	278634
2015-16	51354	165000	216354
2016-17	496570	431000	927570
कुल	**720558**	**702000**	**1422558**

20 बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

21 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए विकास कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाए अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई। जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय की माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार जाँच नहीं की जा सकी। जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

22. रोकड़ बही तथा खाता बही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही केवल नाम की रोकड़ बही है क्योंकि इसका संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष| ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन- देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसी प्रकार खाता बही में भी न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष| ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

23 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों /कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि तथा सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान न तो उक्त भुगतान से सम्बन्धित **मानदेय रजिस्टर** प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त भुगतान का किसी खाताबही में हिसाब रखा गया है जिसके आभाव में उक्त भुगतान का वास्तविक देय राशि से अधिक भुगतान हो जाने पर नियन्त्रण नहीं रह जाता, क्योंकि मानदेय के भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान तथा उसके भुगतान का रख-रखाव सामान्य निधि खाते में ही किया जा रहा है, जहाँ से इसके अधिक भुगतान हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता| इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आभाव में मानदेय का दर्शाया गया भुगतान सही था भी या नहीं इस बारे भी पुष्टि नहीं की जा सकी ।अतः वांछित अभिलेख नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थति स्पष्ट की जाए।

24 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो की अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर

6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

25 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

26 लघु आपत्ति विवरणिका:-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

27 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(vii)13/2017 खण्ड–1–476–479 दिनांक 16.01.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत लाना भल्टा़, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881